



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 1-3/2021(QIP)

3 वैशाख 1947/23rd April 2025

सार्वजनिक सूचना

Subject: - UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree) Regulations, 2025

The National Education Policy 2020 has led to numerous reforms in the undergraduate and postgraduate programmes. Among NEP 2020's recommendations are degree programs with different durations, multiple entry and multiple exit points, the blending of general education and vocational education, the recognition of prior learning etc.

Regulations covering all of the key elements of NEP 2020 that are relevant to undergraduate and graduate programs have been notified by UGC. A copy of UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree) Regulations, 2025 is enclosed herewith. HEIs are requested to adopt the regulations and align their degree programmes according to the regulations.

(मनिष जोशी)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262245
CG-DL-E-04042025-262245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]
No. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/चैत्र 12, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/CHAITRA 12, 1947

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानदंड)
मसौदा विनियम, 2025

फा. सं. 1-3/2021/क्यूआईपी/मल्टीपल एंट्री-एग्जिट).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से निष्णात डिग्री प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 और इसके मार्च, 2008 और मई, 2014 के संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1.0 संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ नाम.-

(क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानदंड) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(ख) यह विनियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2.0 अनुप्रयोग.- यह विनियम, किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा उनके द्वारा स्थापित अथवा निगमित सभी विश्वविद्यालयों और ऐसे विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त अथवा उनसे संबद्ध सभी संस्थानों और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सभी सम विश्वविद्यालयों संस्थानों पर लागू होंगे।

3.0 परिभाषाएं. — इन विनियमों में,

- I. "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) अभिप्रेत है;
- II. "शैक्षणिक परिषद" अथवा "सीनेट" से अभिप्रेत उच्चतर शिक्षण संस्थान में सभी शैक्षणिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सशक्त निकाय से है;
- III. "शिक्षा वर्ष" से अभिप्रेत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी से फरवरी अथवा जुलाई से अगस्त माह, जैसा मामला हो, में शुरू होने वाली बारह माह की अवधि से है;
- IV. "अवार्ड" से अभिप्रेत किसी छात्र द्वारा अर्हता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने पर सक्षम निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली अर्हता जैसे प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री से है;
- V. "अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" (एबीसी) से अभिप्रेत एक डिजिटल, आभासी या ऑनलाइन इकाई के रूप में शैक्षणिक सेवा तंत्र, जिसे आयोग द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से स्थापित किया गया है, ताकि छात्रों को इसके अकादमिक खाताधारक बनने में सुविधा प्राप्त हो, जिससे विस्तीर्ण और लचीले शिक्षण- ज्ञानअर्जन को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट संचय, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच अथवा उनके भीतर निर्बाध छात्र गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हो;
- VI. "मूल्यांकन बैंड" से अभिप्रेत एनसीआरएफ के अनुसार दो अनिवार्य चरणों के बीच स्तरों को जोड़ना। एनसीआरएफ स्तरों को मूल्यांकन चरण के बराबर माना जाता है जिसे छात्र/ शिक्षार्थी के लिए पास करना एक अनिवार्य चरण होगा;
- VII. "अर्धवार्षिक प्रवेश" से अभिप्रेत वर्ष में दो बार अर्थात् जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया से है;;
- VIII. "आयोग" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;
- IX. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत एक विनिर्दिष्ट इकाई से एक है जिसमें अध्ययन का एक विनिर्दिष्ट कार्यक्रम शामिल है;
- X. "क्रेडिट" से अभिप्रेत 'राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क' (एनसीआरएफ) में यथा परिभाषित एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक निदेश के घंटों की संख्या से है;
- XI. "क्रेडिट अपेक्षाओं" से अभिप्रेत किसी पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम के लिए निर्धारित मान से है। क्रेडिट अपेक्षाओं को पूरा करने वाले छात्र का अभिप्राय यह है कि उसने पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;
- XII. "क्रेडिट अंतरण" से अभिप्रेत उस तंत्र से है जिसके द्वारा एबीसी के साथ पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन/ ओडीएल/ निजी/ आरपीएल पद्धति के माध्यम से छात्रों द्वारा पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों/ प्राप्त अनुभवों के मानदंडों का पालन करते हुए व्यक्तिगत शैक्षणिक बैंक खातों में निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने या प्रदान करने में सक्षम हैं;
- XIII. "डिग्री" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री से है;
- XIV. "उच्चतर शिक्षा संस्थान" (एचईआई) से अभिप्रेत इन विनियमों के खंड 2 के तहत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थान से है;
- XV. "ज्ञानअर्जन निष्कर्ष" से अभिप्रेत किसी शिक्षार्थी द्वारा एक ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया और अध्ययन के कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम के पूरा होने पर वह क्या जानता है, समझता है और क्या करने में सक्षम है, के विवरण से है;
- XVI. "स्तर" से अभिप्रेत अनुक्रमिक चरणों की एक श्रृंखला से है, जैसा कि 'राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क' (एनसीआरएफ) में दिया गया है,

जिसे ज्ञानार्जन के परिणामों की एक शृंखला के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जिसके समक्ष विशिष्ट अर्हताएं रखी जाती हैं/स्थित होती हैं;

- XVII. "बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)" से अभिप्रेत ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से है जो "फोर क्वार्टेंट एप्रोच" का पालन कर शिक्षण पद्धति के अनुसार विकसित किए जाते हैं;
- XVIII. "बहुस्तरीय प्रवेश एवं निर्गमन" एक सक्षम तंत्र है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी किसी भी स्तर पर कार्यक्रम से निर्गमित होकर पुनः प्रवेश ले सकता है, ताकि वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी शिक्षा जारी रखते हुए उच्चतर योग्यता अर्जित कर सके;
- XIX. "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता रूपरेखा" से अभिप्रेत एक वर्णनात्मक रूपरेखा से है जो ज्ञान/ दक्षता/ कौशल के स्तरों की शृंखला के अनुसार अर्हताओं को व्यवस्थित करती है;
- XX. "ऑनलाइन पद्धति" से अभिप्रेत, इंटरनेट, ई-लर्निंग सामग्री और प्रौद्योगिकी-समर्थित तंत्रों और संसाधनों का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से पूर्ण कार्यक्रम वितरण का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के अंतर को दूर करके लचीले ज्ञानार्जन के अवसर प्रदान करने की एक पद्धति से है;
- XXI. "मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति" से अभिप्रेत, विभिन्न प्रकार के मीडिया जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के साथ कभी-कभार होने वाली अंतर्क्रियात्मक आमने-सामने की बैठकें शामिल हैं, जिसका उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के अंतर को दूर करके लचीले शिक्षण के अवसर प्रदान करने की पद्धति से है, ताकि प्रयोगात्मक अथवा कार्य अनुभव सहित शिक्षण- ज्ञानार्जन अनुभव प्रदान किया जा सके;
- XXII. "कार्यक्रम" अथवा "अध्ययन कार्यक्रम" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री के लिए अपनाया गया उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम से है;
- XXIII. "पूर्व शिक्षा की मान्यता" (आरपीएल) से अभिप्रेत एक मूल्यांकन प्रक्रिया से है जिसे किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक ज्ञानार्जन अनुभवों के माध्यम से अर्जित अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है;
- XXIV. "स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) का अध्ययन पूरा करने के बाद प्राप्त प्रमाणपत्र से है;
- XXV. "स्नातकपूर्व डिप्लोमा" से अभिप्रेत, किसी स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) के अध्ययन के बाद प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा से है;
- XXVI. "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत, किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या निगमित उच्चतर शिक्षा संस्थान से है और इसमें अधिनियम की धारा 3 के तहत उच्चतर शिक्षा का कोई भी सम विश्वविद्यालय संस्थान शामिल होगा।

4.0 उच्चतर शिक्षा संस्थान हेतु सामान्य अपेक्षाएं-

- I. द्विवार्षिक प्रवेश के लिए तैयार उच्चतर शिक्षा संस्थान, वर्ष में दो बार, अर्थात् जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में, विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकते हैं।
- II. छात्र प्रवेश क्षमता का निर्धारण, विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से अग्रिम आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों/ मानदंडों के अनुरूप और संबंधित अन्य सांविधिक निकायों के आधार पर उपलब्ध शैक्षिक और वास्तविक सुविधाओं, छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षण, शिक्षणोत्तर अनुपात के आधार पर किया जाएगा।
- III. प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेलकूद और स्वास्थ्य सुविधाओं, छात्रावास आवास, जलपानगृह/ कैफेटेरिया और अन्य सुविधाओं से संबंधित मानदंड निर्धारित करेगा। संबद्धता की शर्त के रूप में ऐसी सुविधाओं के लिए मानदंड निर्धारित करते समय, उच्चतर शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित अन्य वैधानिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ मानदंडों को ध्यान में रखेगा।
- IV. उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा प्रशिक्षुता का एकीकरण, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम संरचना के भाग के रूप में किया जाएगा, जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और शिक्षुता एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे के अनुरूप होगा।

- V. उच्चतर शिक्षा संस्थान, शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु-प्रवेश और निकास विकल्प उपलब्ध कराएंगे।
- VI. छात्र की व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा अथवा प्रतिलोमतः गतिशीलता, संबंधित विनियामक निकायों द्वारा जारी संगत दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

5.0 प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड (स्नातकपूर्व/ स्नातकोत्तर) -

- I. कोई छात्र जिसने स्तर 4 / कक्षा 12 की विद्यालयी शिक्षा (या तो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से अथवा मुक्त विद्यालयी प्रणाली के माध्यम से) अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण की है, वह स्नातकपूर्व कार्यक्रम अथवा एकीकृत स्नातकपूर्व/ स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु पात्र होगा।
- II. स्तर 4/ कक्षा 12 की विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थी द्वारा लिए गए किसी भी विषय के अनपेक्षतः, यदि विद्यार्थी स्नातकपूर्व कार्यक्रम की विधा में राष्ट्रीय स्तर अथवा विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह स्नातकपूर्व कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश पाने के लिए पात्र है। जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान-अंतराल को दूर करने हेतु आवश्यक सेतु पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है।
- III. यदि किसी छात्र ने 3 वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (स्तर 5.5, कुल 120 क्रेडिट)/ ऑनर्स के साथ 4 वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री/ ऑनर्स के साथ शोध (स्तर 6, कुल 160 क्रेडिट) उत्तीर्ण कर ली हो तो वह स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र होगा।
- IV. यदि छात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रम की विधा में राष्ट्रीय स्तर अथवा विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह स्नातकपूर्व कार्यक्रम में लिए गए मुख्य अथवा गौण विषयों के अनपेक्षतः स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के किसी भी विषय में प्रवेश पाने के लिए पात्र है।
- V. कोई छात्र, विधा/ संस्थान/ शिक्षण की पद्धति में परिवर्तन के संदर्भ में लचीलेपन के साथ एक साथ दो स्नातकपूर्व कार्यक्रमों में अध्ययनरत हो सकता है, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे और एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने संबंधी दिशानिर्देशों में दिया गया है।
- VI. कोई छात्र, विधा/ संस्थान/ शिक्षण की पद्धति में परिवर्तन के संदर्भ में लचीलेपन के साथ एक साथ दो स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत हो सकता है, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे और एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने संबंधी दिशानिर्देशों में दिया गया है।

6.0 नियमित पद्धति के अलावा स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर कार्यक्रम के भाग के रूप में क्रेडिट का संचय -

- I. नियमित पद्धति के अलावा कई अन्य तरीके से किए गए ज्ञानार्जन की एक सुपरिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से 'क्रेडिट योग्य' बनाया जा सकता है। शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त क्रेडिट को ट्रांसक्रिप्ट में शामिल किया जाएगा जो डिग्री के अंतिम अवार्ड के लिए गिना जाएगा। यूजीसी द्वारा समय-समय पर ओडीएल, ऑनलाइन एवं आरपीएल पर अधिसूचित दिशानिर्देश/नियम लागू होंगे।
- II. ओडीएल/ऑनलाइन मोड के अंतर्गत स्नातक प्रमाणपत्र, स्नातक डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रम केवल उन उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) से प्राप्त किए जाएंगे, जो यूजीसी द्वारा ऐसे कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

7.0 पाठ्यक्रम और 'क्रेडिट फ्रेमवर्क' -

पेशकश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु, 'करिकुलम ट्रांजेक्शन', शैक्षिक प्रौद्योगिकियों, उनका समय-चयन, सतत् मूल्यांकन विधियां और मूल्यांकन के नए तरीकों के संबंध में मानदंड, विश्वविद्यालयों/ स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा, एनएचईक्यूएफ विकसित समग्र, बहु-विषयक शिक्षा, स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप होंगे।

8.0 उपस्थिति संबंधी अपेक्षाएं -

एनईपी, 2020 द्वारा सुझाई गई विविध ज्ञानार्जन की पद्धतियों तथा समग्र और बहु-विषयक ज्ञानार्जन अवसरों को ध्यान में रखते हुए, उच्चतर शिक्षा संस्थान, विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति संबंधी अपेक्षाओं का निर्णय अपने वैधानिक निकायों की स्वीकृति से करेंगे।

9.0 परीक्षा और मूल्यांकन -

- I. विश्वविद्यालय, समय-समय पर परीक्षा के संचालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य वैधानिक निकायों द्वारा जारी निदेशों/ दिशानिर्देशों को अंगीकार करेगा। यूजीसी द्वारा समय-समय पर ओडीएल, ऑनलाइन एवं आरपीएल पर अधिसूचित दिशानिर्देश/नियम लागू होंगे।
- II. मूल्यांकन की इकाइयाँ, जैसे कि परीक्षण, संगोष्ठी, प्रस्तुतीकरण, कक्षा प्रदर्शन, क्षेत्रीय कार्य आदि, तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के संदर्भ में इन इकाइयों को प्रदान किया गया भारांक विश्वविद्यालय की सक्षम शैक्षणिक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसे संबंधित शैक्षणिक वर्ष या सेमेस्टर के प्रारंभ में विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा।
- III. अंतिम परीक्षा का स्वरूप, चाहे वह लिखित (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) हो अथवा मौखिक अथवा दोनों तरीकों से हो, प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में छात्रों को शिक्षा सत्र के प्रारंभ में भी बताया जाएगा।
- IV. सेमेस्टर/ वर्षांत में होने वाली परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में सतत् रूप से मूल्यांकन होगा, और प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में क्रेडिट, उपयुक्त शैक्षणिक निकाय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और छात्रों को उनकी जानकारी दी जाएगी। जब तक कि छात्र को वांछित सक्षमताओं की प्राप्ति और किसी कार्यक्रम के परिणाम के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है तब तक छात्र द्वारा कोई क्रेडिट अर्जित नहीं किया जा सकता है।
- V. उच्चतर शिक्षा संस्थान, ग्रेड को प्रतिशत में बदलने तथा इसके प्रतिलोमतः एक तालिका तैयार करेंगे तथा उसे अपनाएंगे।
- VI. जबकि, मूल्यांकन की वास्तविक प्रक्रिया गोपनीय होगी, मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त रूप से पारदर्शी होगी, तथा छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी उत्तर पुस्तिका तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
- VII. उच्चतर शिक्षा संस्थान, सतत् रचनात्मक मूल्यांकन को प्राथमिकता देंगे।

10.0 कौशल पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एकीकरण-

छात्र को किसी विधा में स्नातकपूर्व की डिग्री प्राप्त करने के लिए उक्त विधा में कुल क्रेडिट का कम से कम 50% अर्जित करना होगा। शेष 50% क्रेडिट के लिए, छात्र कौशल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और बहु-विधा से संबद्ध विषयों का चयन कर सकते हैं।

11.0 अवधि और प्रमाणन -

स्नातक डिग्री की अवधि तीन या चार वर्ष होगी, तथा स्नातकोत्तर डिग्री की अवधि सामान्यतः एक वर्ष या दो वर्ष होगी। हालांकि, परिशिष्ट-I के अनुसार, स्नातक डिग्री की अवधि कम या अधिक हो सकती है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों में राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (NCrF) के अनुसार बहुस्तरीय प्रवेश एवं निर्गमन (Multiple Entry and Exit) की सुविधा होगी। किसी भी स्तर पर निर्गमन करने वाले विद्यार्थियों को, निर्धारित क्रेडिट संख्या के अतिरिक्त कार्य-आधारित व्यावसायिक/कौशल पाठ्यक्रमों से अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट के आधार पर उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जैसा कि निम्नानुसार दिया गया है:

11.1 स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र (अध्ययन का क्षेत्र/ विधा) -

- I. जिन छात्रों ने एनसीआरएफ के स्तर 4.5 को पूरा करके कुल 40 क्रेडिट अर्जित किए हैं और स्नातकपूर्व कार्यक्रम से निकास कर गए हैं, उन्हें स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने स्तर 4.5 को पूरा करने के लिए अर्जित 40 क्रेडिट के अलावा न्यूनतम 4-क्रेडिट कौशल-संबद्ध पाठ्यक्रम(ओं) में भाग लिया हो।
- II. छात्रों को अर्जित क्रेडिट की वैधता समाप्त होने से पूर्व, अधिकतम सात वर्ष की अवधि के भीतर, स्तर-5 पर द्वितीय वर्ष में पुनः प्रवेश लेने की अनुमति होगी। क्रेडिट के जमा करने एवं मोचन की प्रक्रिया यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

11.2 स्नातकपूर्व डिप्लोमा (अध्ययन का क्षेत्र/ विधा) -

- I. जिन छात्रों ने एनसीआरएफ के स्तर 4.5 और 5 को पूरा करके कुल 80 क्रेडिट अर्जित किए हैं और स्नातकपूर्व कार्यक्रम से निकास कर गए हैं, उन्हें स्नातकपूर्व डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने स्तर 5 को पूरा करने के लिए अर्जित 80 क्रेडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4-क्रेडिट कौशल-संवर्द्धन पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
- II. छात्रों को अर्जित क्रेडिट की वैधता समाप्त होने से पूर्व, अधिकतम सात वर्ष की अवधि के भीतर, स्तर-5.5 पर तृतीय वर्ष में पुनः प्रवेश लेने की अनुमति होगी। क्रेडिट के जमा करने एवं मोचन की प्रक्रिया यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

11.3 स्नातकपूर्व डिग्री -

- I. जो छात्रों एनसीआरएफ के स्तर 5.5 को पूर्ण करके कुल 120 क्रेडिट अर्जित कर चुके हैं और स्नातकपूर्व कार्यक्रम से निकास कर जाते हैं, उन्हें एक स्नातकपूर्व डिग्री प्रदान की जाएगी।
- II. एनसीआरएफ (NCrF) के स्तर-5.5 पर आवश्यक क्रेडिट अर्जित करने वाले एवं तीन वर्ष के पश्चात स्नातक कार्यक्रम से निर्गमन करने वाले छात्र, अर्जित क्रेडिट की वैधता समाप्त होने से पूर्व, अधिकतम सात वर्ष की अवधि के भीतर, चतुर्थ वर्ष के स्नातक (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च) कार्यक्रम में पुनः प्रवेश ले सकते हैं। क्रेडिट के जमा करने एवं मोचन की प्रक्रिया यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

11.4 स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स/ शोध सहित ऑनर्स) -

- I. जिन छात्रों ने एनसीआरएफ के स्तर 6 पर आवश्यक क्रेडिट अर्जित किए हैं, उन्हें स्नातकपूर्व (ऑनर्स/ शोध सहित ऑनर्स) डिग्री प्रदान की जाएगी।
- II. जिन छात्रों ने दो प्रमुख विषयों के लिए आवश्यक क्रेडिट अर्जित किए हैं, उन्हें 'डबल मेजर'/एकीकृत स्नातकपूर्व डिग्री के साथ स्नातकपूर्व डिग्री प्रदान की जाएगी।
- III. प्रदान की जाने वाली डिग्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामपद्धति के अनुसार संबंधित विषय (विषयों) में स्नातकपूर्व डिग्री कहा जाएगा।

11.5 स्नातकोत्तर कार्यक्रम -

- I. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पास विभिन्न अवधि के स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने का लचीलापन होगा जैसे (क) प्रथम वर्ष के अंत में निकास के विकल्प के साथ एक 2 वर्षीय कार्यक्रम, (ख) 1 वर्षीय कार्यक्रम, और (ग) एकीकृत 5 वर्षीय स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रम।
- II. 3 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्र, दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
- III. ऑनर्स/ शोध के साथ ऑनर्स, वाले 4 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्र एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
- IV. संगत विषयों में 4-वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स/ शोध सहित ऑनर्स) पूरा करने वाले छात्र (स्तर 6, उदाहरण के लिए भौतिकी में विज्ञान स्नातक (प्रवीण), जीव विज्ञान में विज्ञान स्नातक (प्रवीण), गणित में विज्ञान स्नातक (प्रवीण), और 4-वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (स्तर 6, उदाहरण के लिए इंजीनियरी स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक आदि) पूर्ण करने वाले छात्र 2-वर्षीय/4 सेमेस्टर के स्नातकोत्तर कार्यक्रम (स्तर 7, उदाहरण के लिए इंजीनियरी-निष्णात, प्रौद्योगिकी निष्णात आदि) के लिए पात्र होंगे।
- V. वे छात्र जिन्होंने दो वर्षीय स्नातकोत्तर (स्तर 6.5/7) कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (स्तर-6) को पूर्ण करके कुल 40 क्रेडिट अर्जित किए हैं, यदि वे निर्गमन करते हैं, तो उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।
- VI. तीन वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (स्तर 5.5) धारक छात्र, जिन्होंने एनसीआरएफ के स्तर 6.5 पर आवश्यक क्रेडिट अर्जित किए हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट

नामपद्धति के अनुसार दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री जैसे कला निष्णात, वाणिज्य निष्णात, विज्ञान निष्णात आदि प्रदान की जाएगी।

- VII. चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (स्तर 6) धारक छात्र, जिसने एनसीआरएफ के स्तर 6.5 पर आवश्यक क्रेडिट अर्जित किए हैं, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामपद्धति के अनुसार एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री जैसे कला निष्णात, वाणिज्य निष्णात, विज्ञान निष्णात आदि प्रदान की जाएगी।
- VIII. चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (स्तर 6) धारक छात्र, जिसने एनसीआरएफ के स्तर 7 पर आवश्यक क्रेडिट अर्जित किए हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामपद्धति के अनुसार इंजीनियरी-निष्णात, प्रौद्योगिकी निष्णात आदि जैसी स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाएगी।

12.0 पूर्व में प्राप्त किए गए ज्ञान को मान्यता -

औपचारिक शिक्षा से इतर या कार्यस्थल अथवा समुदाय में अधिगम एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पूर्व अधिगम निष्पत्तियों के प्रमाणीकरण पर आधारित होगा। किसी विशेष व्यवसाय में अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा यूजीसी के "उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश" तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

13.0 विनियमों का पालन न करने के परिणाम -

यदि कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो आयोग उल्लंघनों की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन करेगा। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा पाया जाता है कि उल्लंघन किए गए हैं तो एचईआई को:-

- क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
- ख) स्नातक प्रमाणपत्र, स्नातक डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रम संचालित करने से वंचित कर दिया जाएगा।
- ग) ओडीएल और ऑनलाइन पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने से वंचित कर दिया जाएगा।
- घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत अनुरक्षित उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची से हटाया दिया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा संस्थान पर उपर्युक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मामला दर माला आधार पर आयोग के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

प्रो. मनिष र. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./04/2025-26]

परिशिष्ट-I

उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा त्वरित और विस्तारित डिग्री प्रदान करना

नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) भिन्न ज्ञानअर्जन क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों को आवश्यक क्रेडिट अर्जित करके किसी कार्यक्रम की मानक अवधि की तुलना में पाठ्यक्रम को तेज़ अथवा धीमी गति से पूरा करने में सक्षम बनाता है। उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) मानक अवधि वाले कार्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्र के अनुरोध का मूल्यांकन करने के पश्चात् मानक अवधि वाले डिग्री कार्यक्रमों के अतिरिक्त त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (ईडीपी) उपलब्ध करवा सकते हैं।

ये निर्देश उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को विस्तारित एवं तीव्रित डिग्री कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शैक्षणिक विषयवस्तु, क्रेडिट, मूल्यांकन विधियों एवं डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे:

- उच्चतर शिक्षा संस्थान, संस्वीकृत दाखिले के 10% तक को एडीपी के लिए निर्धारित कर सकते हैं।
- उच्चतर शिक्षा संस्थान, ईडीपी और एडीपी के तहत प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर के अंत में प्राप्त आवेदनों की जांच करने और तदनुसार छात्रों का चयन करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

- उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा गठित समिति प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उसके क्रेडिट पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करेगी तथा अपनी सिफारिशें देगी।
- समिति छात्रों द्वारा चुनी गई अवधि के अनुसार प्रति सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की संख्या तथा कुल क्रेडिट में कमी या वृद्धि की सिफारिश करेगी।
- एडीपी तथा ईडीपी के तहत, प्रतिलेखों में केवल उन पाठ्यक्रमों को दर्ज किया जाना चाहिए जो छात्र एक सेमेस्टर में लेते हैं।

त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) -

- त्वरित डिग्री कार्यक्रम केवल स्नातकपूर्व स्तर पर ही लागू होंगे।
- एडीपी में, छात्र एक मानक अवधि के लिए कार्यक्रम हेतु निर्धारित समान पाठ्यक्रम विषयवस्तु और कुल क्रेडिट का पालन करेंगे। केवल कार्यक्रम की अवधि में बदलाव होगा। छात्रों के पास पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर के अंत में एडीपी का चुनाव करने का विकल्प होगा, उसके बाद नहीं। एडीपी का

चुनाव करने वाले छात्रों को दूसरे या तीसरे सेमेस्टर से शुरू होने वाले प्रत्येक सेमेस्टर में अतिरिक्त क्रेडिट मिलेंगे, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे एडीपी में कब जाते हैं। यदि वे पहले सेमेस्टर के बाद एडीपी में शामिल होते हैं, तो उन्हें दूसरे सेमेस्टर और उसके बाद से अतिरिक्त क्रेडिट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार, यदि वे दूसरे सेमेस्टर के बाद एडीपी में शामिल होते हैं, तो उन्हें तीसरे सेमेस्टर और उसके बाद से अतिरिक्त क्रेडिट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे।

- किसी तीन वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम में, छात्र अधिकतम एक सेमेस्टर तक अवधि को कम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, छात्र तीन वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल क्रेडिट पांच सेमेस्टर में अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार, चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम में, छात्र अवधि को एक सेमेस्टर अथवा अधिकतम दो सेमेस्टर तक कम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, छात्र चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए अपेक्षित कुल क्रेडिट को छह अथवा सात सेमेस्टर में अर्जित कर सकते हैं। "स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क" में क्रेडिट संरचना के आधार पर समिति यह तय करेगी कि एडीपी में किसी एक सेमेस्टर में एक छात्र को न्यूनतम कितने क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (ईडीपी) -

- विस्तारित डिग्री कार्यक्रम केवल स्नातकपूर्व कार्यक्रमों पर ही लागू होंगे।
- ईडीपी में, छात्र किसी मानक अवधि के लिए कार्यक्रम हेतु विहित समान पाठ्यक्रम विषयवस्तु और कुल क्रेडिटों का पालन करेंगे। केवल कार्यक्रम की अवधि में बदलाव होगा। छात्रों को केवल प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर के अंत में ईडीपी का चयन करने का विकल्प होगा, उसके बाद नहीं। तदनुसार, ईडीपी का चयन करने वाले छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में मानक अवधि वाले कार्यक्रम में अपेक्षित क्रेडिटों की तुलना में कम क्रेडिट मिलेंगे।
- किसी तीन वर्षीय अथवा चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम में, अवधि को अधिकतम दो सेमेस्टर तक बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, छात्र प्रत्येक सेमेस्टर में कम क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। "स्नातकपूर्व कार्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क" में क्रेडिट संरचना के आधार पर, समिति यह तय करेगी कि ईडीपी में एक सेमेस्टर में एक छात्र को न्यूनतम कितने क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया -

- परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली, मानक अवधि वाले कार्यक्रम के समान ही रहेगी।

डिग्री प्रदान करना-

- उच्चतर शिक्षा संस्थान, चयन की गई अवधि (कम की गई अथवा विस्तारित अवधि) में कार्यक्रम पूरा करने पर विद्यार्थियों को डिग्री जारी कर सकते हैं और औपचारिक डिग्री प्रदान करने के लिए मानक अवधि को पूर्ण करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- त्वरित और विस्तारित डिग्री के लिए, डिग्री में एक स्वतः पूर्ण टिप्पण जोड़ा जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि किसी मानक अवधि में आवश्यक शैक्षणिक अपेक्षाओं को, कम की गई अथवा विस्तारित अवधि में पूरा कर लिया गया है। चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए एडीपी हेतु टिप्पण में यह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि छात्र ने चार वर्षीय कार्यक्रम की शैक्षणिक अपेक्षाओं को छह अथवा सात सेमेस्टर, जैसा भी मामला हो, में पूर्ण किया है।

- सरकारी विभागों, निजी संगठनों और भर्ती एजेंसियों जैसे यूपीएससी/ राज्य सेवा आयोग आदि को एडीपी और ईडीपी डिग्रियों को मानक अवधि की डिग्रियों के समकक्ष ही मानना चाहिए।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree) Regulations, 2025

F. No. 1-3/2021/QIP/Multiple Entry-Exit).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the First Degree through Formal Education) Regulations, 2003 and UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the Master's Degree through Formal Education) Regulations, 2003 and its amendments dated March 2008 and May 2014, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

1.0 Short title, application, and commencement. -

- a) These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree) Regulations, 2025;
- b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.0 Application.—

These Regulations shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act, all institutions and colleges recognized by or affiliated to such Universities, and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act 1956.

3.0 Definitions. — In these Regulations,

- i. “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- ii. “Academic Council” or “Senate” means the body empowered to take decisions regarding all academic matters in a Higher Educational Institution;
- iii. “Academic Year” means a duration of twelve months beginning either in January to February or in the month of July to August, as the case may be, of every calendar year;
- iv. “Award” means qualifications such as certificate/diploma/degree awarded by competent bodies when a student has met the requirements of the qualification;
- v. “Academic Bank of Credits” (ABC) means an academic service mechanism as a digital, virtual or online entity established by the Commission with the approval of the Central Government to facilitate students to become its academic account holders, thereby paving the way for seamless student mobility between or within degree-granting Higher Educational Institutions through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning;
- vi. “Assessment bands” means clubbing of levels between two mandatory stages as per NCeF. The NCeF levels are equated with the assessment stage which will be a mandatory stage for a student/learner to clear;
- vii. “Biannual admission” means the process of admitting students twice a year i.e. July/August and January/February;
- viii. “Commission” means the University Grants Commission established under Section 4 of the Act;
- ix. “Course” means one of the specified units which go to comprise a specified programme of study;
- x. “Credit” means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester as defined in the National Credit Framework (NCeF);
- xi. “Credit requirements” means the value assigned for a course/programme. A student who has met the credit requirements means he/she has successfully completed the course/programme;
- xii. “Credit transfer” means the mechanism by which the Higher Educational Institutions registered with the ABC are able to receive or provide prescribed credits to individual Academic Bank Accounts in adherence to the norms for the courses undergone/experiences gained by the students through the offline/online/ ODL/Private/RPL mode;

- xiii. “Degree” means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22(3) of the Act;
- xiv. “Higher Educational Institution” (HEI) means a university or institution specified under clause 2 of these Regulations;
- xv. “Learning outcomes” mean statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process and a programme/course of study;
- xvi. “Levels” mean a series of sequential stages, as given in the National Credit Framework (NCrF), expressed in terms of a range of learning outcomes against which typical qualifications are positioned/located;
- xvii. “Massive Open Online Courses (MOOCs)” mean such online courses that are developed as per the pedagogy following the four quadrant approach;
- xviii. “Multiple entry and exit” means an enabling mechanism wherein the learner can exit after any level and join back to continue in the programme and acquire higher qualifications within a specified duration;
- xix. “National Higher Education Qualifications Framework” means a descriptive framework that organizes qualifications according to a series of levels of knowledge/competencies/skills;
- xx. “Online Mode” means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using the internet, e-learning materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology-assisted mechanisms and resources;
- xxi. “Open and Distance Learning Mode” means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;
- xxii. “Programme” or “Programme of study” means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the Act;
- xxiii. “[Recognition of Prior Learning](#)” (RPL) means an assessment process designed to evaluate an individual's skills, knowledge, and experience acquired through formal, non-formal, or informal learning experiences;
- xxiv. “UG Certificate” means a certificate after completing 1 year of study (2 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;
- xxv. “UG Diploma” means a diploma awarded after 2 years (4 semesters) of study in the chosen fields of study in a UG programme;
- xxvi. “University” means a Higher Educational Institution established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act and shall include any institution for higher education deemed to be a University under Section 3 of the Act.

4.0 General Requirements for HEIs. -

1. HEIs prepared to handle biannual admissions may admit students twice a year, in July/August and January/February.
2. The student in-take capacity shall be determined by the university/institution in advance through its statutory bodies based on the academic and physical facilities available, the student-teacher ratio, the teaching-non-teaching ratio in accordance with the UGC guidelines/norms, and other statutory bodies concerned.
3. Every HEI shall lay down the norms concerning classrooms, laboratories, library, sports and health facilities, hostel accommodation, canteen/ cafeteria, and other facilities. While prescribing the norms for such facilities as a condition for affiliation, the HEI shall keep in view the guidelines/norms issued by the UGC and other statutory bodies concerned.
4. Integration of higher education, vocational education, training & skilling, and internship shall be made as part of the UG and PG curricular structure, in accordance with the Curriculum and Credit Frameworks for UG, PG, and Apprenticeship Embedded Degree Programmes, notified by the UGC.
5. HEIs shall provide multiple entry and exit options in the academic programmes.
6. Mobility of a student from vocational education to general education or vice-versa, shall be as per the procedure prescribed in the relevant guidelines issued by the regulatory bodies concerned.

5.0 Eligibility criteria for admission (Undergraduate / Postgraduate). -

1. A student who has passed Level 4/Class 12 schooling (either through formal schooling or through the open

school system) or its equivalent shall be eligible for admission to an undergraduate programme or Integrated undergraduate/postgraduate degree programme.

2. Irrespective of the disciplines taken by a student in level 4/class 12 schooling, a student is eligible for admission in any discipline of UG programme if the student qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of UG programme. Where required, the university may provide the necessary bridge courses to the students to address the knowledge gaps which may arise when students from varied disciplines are admitted.
3. A student shall be eligible for admission to a postgraduate degree programme if he/she has passed a 3-year undergraduate degree (level 5.5, a total of 120 credits) / 4-year undergraduate degree with Honours/Honours with Research (level 6, a total of 160 credits).
4. Irrespective of the major or minor disciplines taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies for the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.
5. A student can pursue two UG programmes simultaneously with flexibility in terms of change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes, and Guidelines for Pursuing Two Academic Programmes simultaneously.
6. A student can pursue two PG programmes simultaneously with flexibility in terms of change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for Postgraduate Programmes and Guidelines for Pursuing Two Academic Programmes simultaneously.

6.0 Accumulation of credits as part of UG/PG programme other than regular modes. -

1. Learnings from multiple modes other than regular modes such as ODL, Online and RPL modes are creditizable through a well-defined assessment process. The credits obtained by the learner shall be incorporated in the transcripts that count for the final award of the degree. The guidelines/regulations notified by UGC from time to time on ODL, Online and RPL shall be applicable.
2. UG Certificate, UG Diploma and Degree programmes under ODL/Online mode shall be pursued with only such HEIs which are recognized by UGC for running such programmes.

7.0 Curriculum and Credit Framework. -

The norms with respect to the curriculum content, curriculum transaction, educational technologies for the courses offered, their timing, continuous evaluation methods, and novel methods of assessment shall be as decided by the universities/autonomous colleges in accordance with holistic, multidisciplinary education advanced by NHEQF, Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programme and Curriculum and Credit Framework for Postgraduate Programme.

8.0 Attendance Requirement. -

Considering the diverse learning modes and holistic and multidisciplinary learning opportunities suggested by NEP 2020, HEIs shall decide on the minimum attendance requirement of students in different programmes with the approval of their statutory bodies.

9.0 Examinations and Evaluation. -

1. The university shall adopt the directions/guidelines issued by the UGC and other statutory bodies concerned from time to time with respect to the conduct of examinations.
2. The units of evaluation, namely, tests, seminars, presentations, class performance, fieldwork, etc., and the weightage assigned to each of such units in respect of each course shall be determined by the appropriate academic body of the university and shall be made known to the students at the beginning of the academic session of the year, or the semester, as the case may be.
3. The nature of the final examination, whether written (online/offline) or oral or both, with respect to each course shall also be made known to the students at the beginning of the academic session.
4. There shall be continuous evaluation in each course in addition to semester/year-end examinations, and the credits in respect of each course shall be prescribed by the appropriate academic body and made known to the students. No credit can be earned by the student unless the student is assessed for the achievement of the desired competencies and outcome of a program.
5. The HEIs shall work out and adopt a table of conversion of grades into percentages and vice-versa.
6. While the actual process of evaluation shall be confidential, the system of evaluation shall be sufficiently transparent, and a student shall be given access to his/her answer script as per the procedure laid down in this regard by the university.
7. HEIs shall accord priority to continuous formative assessment.

10.0 Integration of Skill Courses and Apprenticeships. -

A student has to earn a minimum of 50% of total credits in a discipline to earn an undergraduate degree with a major in that discipline. For the remaining 50% credits, the students may choose skill courses, apprenticeships and multidisciplinary subjects.

11.0 Duration and Certification. -

The duration of an undergraduate degree shall be either 3 or 4 years, and a postgraduate degree shall normally be either 1 year or 2 years. However, the duration of an undergraduate degree can be shorter or longer, as per Annexure I. Both UG and PG programmes shall have multiple entry multiple exit points as given in the NCrf. Students, when they exit after any level, shall be awarded appropriate certification based on the additional credits they earn from work-based vocational/skill courses over and above the prescribed number of credits, as given below:

11.1 Undergraduate Certificate (Field of Study/Discipline). -

- i. Students who have earned a total of 40 credits by completing level 4.5 of NCrf and exit from the undergraduate programme shall be awarded an undergraduate certificate provided they have undergone a minimum 4-credit skill-enhancement course(s) over and above the 40 credits earned for completing level 4.5.
- ii. Students shall be allowed to join back in the 2nd year at level 5 before the expiry of the credits earned, subject to a maximum duration of seven years. The procedure for depositing and redemption of credits shall be as per the UGC (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations, 2021, as amended from time to time.

11.2 Undergraduate Diploma (Field of Study/Discipline). -

- i. Students who have earned a total of 80 credits by completing levels 4.5 and 5 of NCrf and exit from the undergraduate programme shall be awarded an undergraduate diploma provided they have undergone a minimum 4-credit skill-enhancement course(s) over and above the 80 credits earned for completing level 5.
- ii. Students shall be allowed to join back in the 3rd year at level 5.5 at a later stage before the expiry of the credits earned, subject to a maximum duration of seven years. The procedure for depositing and redemption of credits shall be as per the UGC (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations, 2021, as amended from time to time.

11.3 Undergraduate degree. -

- i. Students who have earned a total of 120 credits by completing level 5.5 of NCrf and exit from the undergraduate programme shall be awarded an undergraduate degree.
- ii. Students who have earned the required credits at level 5.5 of NCrf and exit from the undergraduate programme after 3 years can resume the 4th year undergraduate (Honours/Honours with Research) programme at a later stage before the expiry of the credits earned, subject to a maximum duration of seven years. The procedure for depositing and redemption of credits shall be as per the UGC (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations, 2021, as amended from time to time.

11.4 Undergraduate degree (Honours/Honours with Research). -

- i. Students who have earned the required credits at level 6 of NCrf shall be awarded an undergraduate (Honours/Honours with Research) degree.
- ii. Students who have earned the required credits for two majors shall be awarded an undergraduate degree with a double major/integrated UG degree.
- iii. The degree to be awarded shall be called the undergraduate degree in the respective discipline(s) in accordance with the nomenclature specified by the UGC under Section 22 (3) of the UGC Act.

11.5 Postgraduate Programme. -

- i. HEIs shall have the flexibility to offer postgraduate programmes with different durations viz. (a) a 2-year programme with an exit option at the end of the first year, (b) a 1-year programme, and (c) an integrated 5-year undergraduate/ postgraduate programme.
- ii. Students completing a 3-year undergraduate programme shall be eligible for a two-year postgraduate programme.
- iii. Students completing a 4-year undergraduate programme with Honours/Honours with Research shall be eligible for a one-year postgraduate programme.

- iv. Students completing a 4-year undergraduate degree (Hons./Hons. with Research) in relevant subjects (level 6, e.g. B.Sc. Hons. in Physics, B.Sc. Hons. in Biology, B.Sc. Hons. in Mathematics) and students completing a 4-year undergraduate degree (level 6, e.g. B.E., B. Tech., etc.) shall be eligible for the 2-year/4 semester postgraduate programme (level 7, e.g. M.E., M.Tech. etc.).
- v. Students who have earned a total of 40 credits by completing the first year (level 6) of two-year PG (level 6.5/7) of NCrF and, if exit, shall be awarded a postgraduate diploma.
- vi. A student with a 3-year undergraduate degree (level 5.5) who has earned required credits at level 6.5 of NCrF shall be awarded a 2-year postgraduate degree such as M.A., M.Com., M.Sc. etc., in accordance with the nomenclature specified by the UGC under Section 22 (3) of the UGC Act.
- vii. A student with a 4-year undergraduate degree (level 6) who has earned required credits at level 6.5 of NCrF shall be awarded a 1-year postgraduate degree such as M.A., M.Com., M.Sc. etc., in accordance with the nomenclature specified by the UGC under Section 22 (3) of the UGC Act.
- viii. A student with a 4-year undergraduate degree (level 6) who has earned the required credits at level 7 of NCrF shall be awarded a postgraduate degree such as M.E., M. Tech. etc., in accordance with the nomenclature specified by the UGC under Section 22 (3) of the UGC Act.

12.0 Recognition of Prior Learning. -

Learnings achieved outside of formal learning or through learning and training in the workplace or in the community shall be based on the validation of prior learning outcomes achieved. Such individuals with experience and expertise in any particular profession shall be assessed by the recognized higher education institutions as per the UGC “Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Higher Education, as amended from time to time.

13.0 Consequence of failure to comply with the Regulations. -

If any HEI violates the provisions of these regulations, the Commission shall constitute an enquiry committee to look into the violations. If the violations are established by the enquiry committee set up by the Commission, the HEI shall be:—

- (a) Debarred from participating in UGC schemes.
- (b) Debarred from offering UG Certificate, UG Diploma and degree programmes.
- (c) Debarred from offering ODL and online mode programmes.
- (d) Removed from the list of HEIs maintained under Section 2(f) and 12B of UGC Act 1956.

The HEI shall be subjected to one or more of the above actions. Further, UGC may take additional punitive actions as per the decision of the Commission on a case-to-case basis.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy.

[ADVT.III/4Exty./04/2025-26]

(Annexure I)

Award of Accelerated and Extended Degrees by Higher Education Institutions

The National Credit Framework (NCrF) enables learners with varying learning abilities to move through the curriculum at rates faster or slower than the standard duration of a programme by earning the required credits. Higher Education Institutions (HEIs) may provide Accelerated Degree Programme (ADP) and Extended Degree Programme (EDP) in addition to degree programmes with standard duration after evaluating the student’s request for admission to a programme with a standard duration.

These instructions will guide Higher Education Institutions (HEIs) in the academic content, credits, assessment methods and degree awarding while implementing extended and accelerated degrees.

- HEIs may earmark up to 10% of sanctioned intake for ADP.
- HEIs may constitute a committee to scrutinize applications received at the end of the first or the second semester under EDP and ADP and select students accordingly.
- The Committee constituted by the HEI will evaluate the credit-completing potential of a student based on their performance in the first or the second semester and give its recommendations.

- The Committee shall recommend a reduction or an increase in the number of courses and total credits per semester, as per the duration opted by the students.
- Under the ADP and EDP, the transcripts should record only the courses the students take in a semester.

Accelerated degree programme (ADP). -

- Accelerated degree programmes shall be applicable only at the undergraduate level.
- In the ADP, students will follow the same curriculum content and total credits prescribed for the programme for a standard duration. The only change will be in the duration of the programme. Students shall have the option to choose ADP either at the end of the first semester or the second semester and not beyond that. Students opting for the ADP will earn additional credits per semester starting from the second or third semester, depending on when they transition to the ADP. If they join the ADP after the first semester, they will begin earning extra credits from the second semester onward. Similarly, if they join the ADP after the second semester, the additional credit load will start from the third semester onward.
- In a 3-year undergraduate programme, students can shorten the duration by a maximum of one semester, e.g. students can earn the total credits needed for a 3-year undergraduate programme in five semesters. Similarly, in a 4-year undergraduate programme, students can shorten the duration by one semester or a maximum of two semesters, e.g. students can earn the total credits required for a 4-year undergraduate programme in six or seven semesters. Based on the credit structure in the “Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes”, the Committee shall decide the minimum number of credits a student must earn in a semester in ADP.

Extended Degree Programme (EDP). -

- Extended degree programmes shall be applicable for undergraduate programmes only.
- In the EDP, students will follow the same curriculum content and total credits prescribed for the programme for a standard duration. The only change will be in the duration of the programme. Students shall have the option to choose EDP either at the end of the first semester or the second semester and not beyond that. Accordingly, students who opt for EDP will earn fewer credits every semester than those required in a programme with a standard duration.
- In a 3-year or 4-year undergraduate programme, the duration may be extended up to a maximum of two semesters. Accordingly, students can earn fewer credits in each semester. Based on the credit structure in the “Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes”, the Committee shall decide the minimum number of credits a student must earn in a semester in EDP.

Examination and Evaluation Process. -

- The examination and evaluation system will remain the same as the programme with a standard duration.

Award of degrees. -

- HEIs may issue degrees for students on completion of the programme in the opted duration (shortened or extended duration) and need not wait to complete the standard duration for the award of the formal degree.
- For the accelerated and extended degrees, a self-contained note should be added in the degree stating that the academic requirements required in a standard duration have been completed in a shortened or extended duration. For an ADP of 4-year undergraduate programme, the note should specify that the student completed the academic requirements of a 4-year programme in six or seven semesters, as the case may be.
- Government departments, private organizations, and recruiting agencies like UPSC/State Service Commission, etc., should treat the degrees from ADP and EDP on par with degrees with standard duration.